

खान आयुक्त का न्यायालय

विविध वाद संख्या— 08 / 2026

जिला—भोजपुर

अजीत कुमार तिवारी

.....

वादकर्ता

बनाम

समाहर्ता, भोजपुर एवं अन्य

.....

प्रतिपक्ष

आदेश

28.08.2026

1. वर्तमान अपील अजीत कुमार तिवारी द्वारा समाहर्ता न्यायालय, भोजपुर के विविध वाद संख्या—02/2026 में दिनांक 16.06.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। इस आदेश से खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर के भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—K-Bhojpur/28/2025 से बालू का भंडारण/प्रेषण प्रतिबंधित करने के आदेश को समाहर्ता, भोजपुर द्वारा यथावत रखा गया है।
2. अपीलकर्ता का कहना है कि उनके पक्ष में भोजपुर जिलान्तर्गत भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—K-Bhojpur/28/2025 निर्गत था एवं वे अनुज्ञप्ति की शर्तों के आलोक में नियमानुसार व्यापार कर रहे थे। उन्होंने बालूघाट कलस्टर—32B के बंदोबस्तधारी शिवा गनी, पिता—शाहिन रेहान गनी के साथ बालू भंडारण के लिए एकरारनामा किया था। बंदोबस्तधारी द्वारा उनका लॉगिन आई0डी पासवर्ड दिनांक—02.09.2025 को प्राप्त कर लिया गया एवं NIC से मिलीभगत कर धोखाधड़ी एवं विश्वासघात कर उनके आई0डी0 का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी फोरेंसिक या तकनीकी जाँच नहीं कराई गई है। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी से वह दोषी नहीं हो जाते हैं। अतः समाहर्ता, भोजपुर का आदेश खारिज कर उनके भंडारण अनुज्ञप्ति को पुनः चालू किया जाय।
3. खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर का कहना है कि भंडारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवैध तरीके से अन्य राज्यों से रेलवे के माध्यम से भंडारण अनुज्ञप्ति के

आई0डी0 में कैपिंग जोड़ा गया है किन्तु जिला खनन कार्यालय, भोजपुर में उपलब्ध संचिका से स्पष्ट है कि भोजपुर जिलान्तर्गत किसी भी रेलवे स्टेशन पर रेलवे रैक के माध्यम से बालू का परिवहन कर अनलोडिंग नहीं किया गया है। अतएव समाहर्ता, भोजपुर द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल है।

4. अपीलकर्ता को सुना एवं अभिलेखों का परिशीलन किया गया। बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम-41 एवं 43 के तहत लघु खनिज का परिवहन वैध ई-चालान के माध्यम से किया जाना अनिवार्य किया गया है। नियमावली के नियम 39 के तहत पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिजों के व्यापार हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति का प्रावधान है। ई-चालान की लागू व्यवस्था में राज्य के खनिज समानुदानधारक/बंदोबस्तधारी से ई-चालान के माध्यम से लघु खनिज क्रय करने वाले भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी के आई0डी0 में वैध स्रोत से क्रय कर प्राप्त किये गये खनिज की मात्रा स्वतः जुड़ जाती है एवं तदनुसार अनुज्ञप्तिधारी ई-चालान निर्गत कर लघु खनिज की बिक्री कर सकते हैं। अन्य राज्यों से वैध स्रोत से क्रय कर लाये गये खनिज की बिक्री के प्रयोजनार्थ ई-चालान हेतु प्राप्त खनिज को अपने आई0डी0/पोर्टल में जोड़ने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त खनिज का परिवहन चालान, ई-वे बिल आदि पोर्टल पर अपलोड करना होता है।
5. भोजपुर सहित अन्य जिला खनन कार्यालयों द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया कि कई अनुज्ञप्तिधारियों ने अवैध रूप से बिना परिवहन चालान अपलोड किये तथा फर्जी दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड कर खनिज की मात्रा अपने आई0डी0 से जोड़ लिया है। इस मामले में पाया गया है कि रेल के माध्यम से अन्य राज्यों से बालू खनिज का परिवहन बिहार राज्य में दिखाया गया है, जबकि बिहार राज्य में पर्याप्त मात्रा में बालू उपलब्ध है। कुछ जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि रेलवे द्वारा संदर्भित मामलों में रेलवे के माध्यम से खनिज प्राप्त नहीं किये जाने की पुष्टि की गयी है। ज्यादातर अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा पोर्टल पर एक ही तरह का धुंधला/अपठनीय दस्तावेज अपलोड किया गया है। स्पष्टतः यह पोर्टल पर अवैध रूप से खनिज की उपलब्ध मात्रा

के लिए खनिज का अवैध उत्खनन कर भण्डारण अनुज्ञप्ति से ई-चालान निर्गत करने की मंशा से ऐसा किया गया है।

6. खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा अपीलकर्ता के द्वारा भंडारण अनुज्ञप्ति में प्राप्त एवं प्रेषित खनिज की मात्रा निम्नप्रकार प्रतिवेदित किया गया है:—

दिनांक—14.06.2025 के आई0डी0 में बालू की मात्रा	रेल द्वारा परिवहन का उल्लेख कर जोड़े गए कैपिंग की मात्रा/तिथि	बिक्री/माह
6168.08 MT	10,000 MT/ 15.06.2025	1123.69 MT/ जून
	10,000 MT/ 20.08.2025	134.86 MT/ जुलाई
	10,000 MT/ 03.09.2025	6091.36 MT/ अगस्त
	कुल— 30,000 MT	10,237.46 MT/ सितम्बर
		कुल— 17587.37 MT

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अवैध रूप से रेलवे द्वारा बालू का परिवहन दिखाकर कैपिंग में जोड़ी गई मात्रा का प्रेषण भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा अपील आवेदन के साथ Annexure-P/2 में निदेशक, खान को प्रेषित आवेदन की प्रति संलग्न की गई है, जिसमें उल्लेख है कि उन्होंने दिनांक 02.09.2025 को अपना आई0डी0 पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को दिया है, जबकि खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन से पता चलता है कि अनुज्ञप्तिधारी आई0डी0 में दिनांक—15.06.2025 एवं 20.08.2025 को ही क्रमशः 10,000 MT-10,000 MT बालू का कैपिंग जोड़ा गया है। स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा यह कृत्य स्वयं किया गया है, जिसके लिए ईमादपुर थानान्तर्गत कांड संख्या—126/2025 भी दर्ज कराई गई है।

7. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

8. अपीलकर्ता द्वारा भंडारण अनुज्ञप्ति में अवैध रूप से जोड़े गए बालू की मात्रा का प्रेषण भी चालान के माध्यम से किया गया है, जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हुई है। खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर निदेशित हैं कि वह सरकारी राजस्व की क्षति की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई करें।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को अनुपालन हेतु भेज दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/-
(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव-सह-खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/-
(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव-सह-खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 5660 एम0, पटना, दिनांक- 28.08.26
प्रतिलिपि:- समाहर्ता, भोजपुर/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय,
भोजपुर/श्री अजीत कुमार तिवारी, पिता-स्व0 हेमन्त कुमार तिवारी,
प्रो0-तिवारी इन्टरप्राइजेज, ग्राम-बैजनाथपुर, थाना-वासुदेवा,
जिला-बक्सर, ई-मेल-singh.saharsh2800@gmail.com / आई0टी0
मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


28/8/26
विधि पदाधिकारी